भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2324

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

शी बॉक्स पोर्टल

2324. श्री काली चरण सिंह:

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

कैप्टन बृजेश चौटा:

श्री भोजराज नाग:

डॉ. शर्मिला सरकार:

श्रीमती संजना जाटव:

श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी:

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

श्री अभिमन्यु सेठी:

श्री शंकर लालवानी:

डॉ. हेमांग जोशी:

श्री शिवमंगल सिंह तोमर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शी-बॉक्स (लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) पोर्टल को नियंत्रित करने वाली वैधानिक/ प्रशासिनक संरचना और उस संस्थागत तंत्र का ब्यौरा क्या है जिसके माध्यम से शिकायतें प्राप्त की जाती हैं, उन पर कार्यवाही की जाती है और उच्चाधिकारियों को आगे भेजी जाती हैं;

(ख) उक्त पोर्टल के कार्यशील होने से लेकर अब तक उस पर प्राप्त शिकायतों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) उन शिकायतों की संख्या कितनी है जिनका समाधान किया गया है, लंबित हैं और विभिन्न चरणों में जांच के अधीन हैं और उनके निपटान में लगने वाला औसत और माध्यिका समय कितना है;

(घ) क्या सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों को शी-बॉक्स पोर्टल से जोड़ दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे मंत्रालयों और विभागों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त पोर्टल पर अब तक पंजीकृत निजी कपंनियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): भारत सरकार ने महिलाओं को कामकाज का सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) लागू किया। यह अधिनियम संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी आयु या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो।

इस अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा एसएच अधिनियम के अंतर्गत दर्ज और निपटाए गए मामलों का डेटा रखने का दायित्व सौंपा गया है। इस अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाली, नियंत्रित या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों से पूर्णतः या काफी हद तक वित्तपोषित कार्यस्थलों के संबंध में केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाली, नियंत्रित या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों से पूर्णतः या काफी हद तक वित्तपोषित कार्यस्थलों के संबंध में राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार (केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यस्थलों को छोड़कर) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले/कार्यरत अन्य सभी कार्यस्थलों के लिए उपयुक्त सरकार है।

यह अधिनियम शिकायत निवारण के लिए दो स्तरीय संस्थागत तंत्र स्थापित करता है: जिसमें 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल में आंतरिक समितियां (आईसी) तथा 10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों से आने वाली शिकायतों और नियोक्ता के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय समितियों का गठन शामिल है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) एसएच अधिनियम, 2013 के लिए नोडल मंत्रालय होने के कारण इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सभी उचित उपाय करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29 अगस्त 2024 को लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल (https://shebox.wcd.gov.in/) लॉन्च किया। यह पोर्टल एसएच अधिनियम, 2013 का सुदृढ़ और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो एक क्रांतिकारी डिजिटल व्यवस्था है। इस पोर्टल का निर्माण स्थानीय समितियों (एलसी) और आंतरिक समितियों (आईसी) से संबंधित सूचनाओं का एक केंद्रीय भंडार बनाने के उद्देश्य से किया गया है, जो पहले उपलब्ध नहीं था। यह पोर्टल सभी क्षेत्रों की महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ही स्थान

पर सुविधा प्रदान करता है, जिससे पूर्ण गोपनीयता और सुलभता के साथ रिपोर्टिंग में आसानी होती है। यह पोर्टल एसएच अधिनियम के कार्यान्वयन के केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन और निगरानी को सुगम बनाता है, शिकायत की स्थिति की तत्समय ट्रैकिंग की सुविधा देता है तथा शिकायतकर्ताओं और शिकायत निवारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बीच पारदर्शी संचार को बढ़ावा देता है। इस पोर्टल में 23 भाषाओं में बहुभाषी सहायता सुविधा उपलब्ध है, जिससे यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है और देश भर के उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर, 2024 के आदेश द्वारा निदेश दिया कि प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव, प्रत्येक जिले के उपायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों या अपर जिला मजिस्ट्रेटों, कलेक्टरों या उप कलेक्टरों को निदेश दें कि वे जिले के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों की संख्या का सर्वेक्षण करें ताकि आंतरिक समिति (आईसी) के गठन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। जिला अधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इस अधिनियम की धारा 4 और 6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक, प्रत्येक नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर गठित आंतरिक शिकायत समिति और गठित स्थानीय समिति के संबंध में विवरण भारत सरकार द्वारा बनाए गए शी-बॉक्स पोर्टल पर अपलोड करें।

माननीय न्यायालय ने दिनांक 12 अगस्त, 2025 और 06 जनवरी, 2026 के अनुवर्ती आदेशों के माध्यम से जिला अधिकारियों को यह निदेश भी दिया कि वे जिले के श्रम आयुक्तों और राज्य के मुख्य श्रम आयुक्त की सहायता से सर्वेक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहले से एकत्र किए गए डेटा को शी-बॉक्स पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन और अनुवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, यह पोर्टल सभी कार्यस्थलों के लिए निम्नलिखित उपाय उपलब्ध कराता है:

क. यह पोर्टल आईसी, एलसी और अन्य वैधानिक अधिकारियों, अर्थात् जिला अधिकारियों, इस अधिनियम की धारा 6(2) के तहत नामित नोडल अधिकारियों का एक केंद्रीकृत भंडार है।

i. आज तक, 777 जिलों ने एलसी विवरण अपलोड कर दिए हैं।

ii. इन 777 जिलों में से, अधिनियम की धारा 6(2) के तहत नामित 646 जिला अधिकारियों और 624 नोडल अधिकारियों का ब्यौरा अपलोड किया गया है।

iii. 1,49,900 [(92,700 सरकारी प्रतिष्ठान (87 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित और 57,200 निजी प्रतिष्ठान)] से अधिक कार्यस्थलों को शामिल किया गया है ।

iv. इनमें से 61,380 (सरकारी – 37,600; निजी – 23,780) ने अपनी आंतरिक समितियों का ब्यौरा अपडेट किया है ।

v. अद्यतन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए, नोडल अधिकारियों को स्वचालित सूचनाएं (फ्रीज संदेश, एसएमएस और ईमेल अलर्ट) भेजी जाती हैं।

ख. <u>प्रशिक्षण एवं जागरूकता</u>

इस अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अनिवार्य प्रशिक्षण की अनिवार्यता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सभी शामिल कार्यस्थलों को, कर्मचारियों; आईसी और एलसी के लिए आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के रिकॉर्ड को अद्यतन करने में सक्षम बनाया गया है।

ग. <u>शिकायतों की गोपनीयता और समय पर निपटान</u>

i. अधिनियम की धारा 16 के अनुपालन में, शिकायतों की गोपनीयता का कठोरता से पालन किया जाता है। शिकायत का विवरण केवल समिति का अध्यक्ष ही देख सकता है।

ii. 90 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान सुनिश्चित करने के लिए, नोडल अधिकारियों और अध्यक्षों को नियमित अंतराल (30, 60 और 90 दिन) पर स्वचालित सूचनाएं भेजी जाती हैं।

iii. 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहने की स्थिति में, त्वरित कार्रवाई के लिए फ्रीज संदेश, एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजे जाते हैं।

घ. <u>वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना</u>

पॉश नियमों के नियम 14 के साथ जवाबदेही और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल आईसी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करने और संबंधित जिला अधिकारियों को प्रस्तुत करने की पुष्टि करने का विकल्प प्रदान करता है।

(ख): 29 अगस्त, 2024 को शी-बॉक्स पोर्टल की शुरुआत होने के बाद से इस पर प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या नीचे दी गई है -

कैलेंडर वर्ष	**प्राप्त शिकायतें**
2024 (29.08.2024 से 31.12.2024 तक)	21
2025	254
2026 (01.01.2026 से 06.02.2026 तक)	25
कुल	**300**

(ग): प्राप्त 300 शिकायतों में से 105 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। पोर्टल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 12 और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम, 2013 के नियम 8, 9 और 10 के अनुसार शिकायतों के निपटारे के विकल्प भी उपलब्ध हैं।
